सवालों के जवाब
विद्यार्थी कैसे पाएं वीजा

बा. एस. विनाय

सैली आयरनफील्ड, नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास की नॉन-इमिग्रेंट वीजा प्रमुख हैं। उन्होंने विद्यार्थी वीजा के लिए आवेदन देने की प्रक्रिया पर 13 जून को वैब चैट में चर्चा की थी। इसमें उन्होंने भारतीय छात्रों को यह आश्वासन दिया था कि यदि वे आने वाली शरत् ऋतु में अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ना चाहते हैं तो प्रार्थनापत्र जमा करने में देरी नहीं हुई है। पढ़ाई शुरू होने से 120 दिन पहले विद्यार्थी वीजा के लिए आवेदन दे सकते हैं। आयरनफील्ड ने कहा कि क्योंकि अब उससे कम समय रह गया है, इसलिए उनका कार्यालय विद्यार्थी वीजा इंटरव्यू के लिए लगभग सभी आवेदनों पर तीन हफ्तों के भीतर विचार कर रहा है। भारत से मिलने वाले अधिकतर आवेदनों को स्वीकृति दी जा रही है।

सैली आयरनफील्ड: सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी कि इस साल विद्यार्थी वीजा आवेदनों की अधिक संख्या देखकर हम बहुत खुश हैं और पिछले साल दिए गए 18,000 विद्यार्थी वीजा आवेदनों को भी इस साल पीछे छोड़ देने की उम्मीद कर रहे हैं।

हर साल जारी किए जाने वाले विद्यार्थी वीजा की संख्या के लिहाज से भारत की स्थिति कैसी है?

अमेरिका में पढ़ने के लिए दुनियाभर से आने वाले विद्यार्थियों में भारत से सबसे अधिक विद्यार्थी आते हैं। अमेरिका में फिलहाल 80,000 भारतीय विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। वीजा के लिए आवेदन देने वालों में स्नातकोत्तर और पीएचडी में दखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या काफी अधिक है और इस साल अंडरग्रेजुएट स्तर पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ी है।

मैं अमेरिका में कितना पैसा ले जा सकता हूं? क्या मुझे अंशकालिक नौकरी मिलेगी? यदि मैं किसी विशेष क्षेत्र में पारंगत हूं और पैसा कमाना चाहता हूं तो क्या मैं अमेरिका में ऐसा कर सकता हूं? वीजा के लिए स्वीकृति देते समय किस प्रकार के सवाल किए जाते हैं?

अमेरिका में अध्ययन के पहले वर्ष के दौरान विद्यार्थियों को रोजगार करने की अनुमति नहीं दी जाती। इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन से अनुमति लेकर परिसर के भीतर रोजगार करने और अन्य प्रकार के रोजगार के अवसर होते हैं। नॉन-इमिग्रेंट वीजा के सभी आवेदकों को यह सिद्ध करना होता है कि उनके अमेरिका से बाहर गहरे संबंध हैं, ताकि उनका इंटरव्यू करने वाले अफसर को यह भरोसा हो जाए कि वे वहां से वापस आ जाएंगे। अधिकारी इंटरव्यू के दौरान आवेदक की संपूर्ण समीक्षा करते हैं और किसी एक तथ्य केआधार पर फैसला नहीं करते। वे परिवार, रोजगार, काम की अवधि, आमदनी, यात्रा के विवरण और अमेरिका यात्रा के मकसद के बारे में सवाल करते हैं और इन्हीं तथ्यों पर विचार करते हैं।

मैं एम.बी.बी.एस. स्नातक हूं और वहां आगे पढ़ाई करने के विकल्पों के बारे में जानकारी चाहता हूं?

अधिक जानकारी के लिए आपको भारत स्थित यू एस एजुकेशनल फाउंडेशन इन इंडिया (यूसेफी) से संपर्क करना चाहिए। इस संस्था की वेबसाइट का पता है : http:/fulbright-india.org/

भारत के लिए विद्यार्थी वीजा की संख्या बढ़ाए जाने की क्या कोई संभावना है?

विद्यार्थी वीजा जारी करने की कांग्रेस द्वारा कोई सीमा तय नहीं की गई है। संभावनाएं अनंत हैं। प्रायोजक स्कूल विदेश मंत्रालय में पंजीकरण कराते हैं और उसके बाद आई-20 फार्म उन्हें विदेशी विद्यार्थियों को देने का अधिकार मिल जाता है। हम हरेक विद्यार्थी को समय से आवेदन देने का मौका प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि वह अपने निर्धारित कॉलेज में पहुंच सके।

वीजा की अर्जी देने का सही समय कब होता है? कौनसे दस्तावेज तैयार रखने चाहिए?

विद्यार्थी वीजा के लिए अर्जी जितनी जल्दी दी जाए, उतना अच्छा है। वैसे आई-20 फार्म मिलते ही अर्जी दे देनी चाहिए। अपने आई-20 पर लिखी आरंभिक तिथि के 120 दिन पहले तक आप इंटरव्यू तय कर सकते हैं और आप अमेरिका में कक्षाएं शुरू होने के 30 दिन पहले तक वहां पहुंच सकते हैं।

महत्वपूर्ण कदम

- आवेदन शुल्क (वर्तमान दर- 4600 रूपए) और वीएफएस (वीजा सुविधा सेवा) साक्षात्कार एवं कूरियर शुल्क (वर्तमान दर- 276 रूपए) का भुगतान एचडीएफसी बैंक की अधिकृत शाखा में करें।
- साक्षात्कार के लिए समय निर्धारित करना और वेबसाइट पर आवेदन को पूरा भरना: http://www.vfs-usa.co.in/ इसके लिए आपको एचडीएफसी बैंक की भुगतान की रसीद की जरूरत होगी।
- आपको कॉलेज से एक बुलावा पत्र आई-20 जरूर मिला होगा। इस दस्तावेज के लिए सेविस (विद्यार्थी एवं विनिमय आगंतुक सूचना प्रणाली) की पंजीकरण प्रणाली के लिए भी भुगतान करना होगा। कॉलेज यह भुगतान आपकी तरफ से करके आपको पुष्टि के लिए सूचित कर सकते हैं। इसे इंटरव्यू के दौरान दिखाना आवश्यक है।
- सेविस के भुगतान से संबंधित सवाल संबंधित कॉलेज से ही पूछे जाने चाहिए या वेबसाइट http://www.fmjfee.com/ पर भी जवाब देख सकते हैं।

अपना वीजा मिलने के बाद हम लगभग कितने समय तक अमेरिका में रह सकते हैं ?

अध्ययन पूरा होने के बाद आमतौर पर 30 दिन तक आपको अमेरिका में रहने की अनुमति है। यह सुविधा पूर्णकालिक विद्यार्थियों के लिए है।

वीजा इंटरव्यू में आमतौर पर कितना समय लगता है ?

हरेक इंटरव्यू कुछ ही मिनट में पूरा हो जाता है। आई-20 सहित आप अपनी अर्जी पर जो कुछ भी लिखते हैं, उससे अधिकारी को निर्णय करने लायक अधिकतर सूचनाएं मिल जाती हैं।

क्या मैं जान सकता हूं कि वीजा पाने की पात्रता के लिए कितना पैसा चाहिए ?

आई-20 में वांछित राशि का उल्लेख है। साथ ही यह भी जानकारी है कि कॉलेज के अनुसार शिक्षा का खर्च कौन उठा रहा है। यह खर्च व्यक्तिगत है, परिवार से है या कॉलेज के कोष से मिलेगा। प्रार्थी को यह जताना पड़ता है कि अध्ययन के पहले साल के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है और प्रार्थी के पास इतने साधन हैं कि उनसे बाकी वर्षो के अध्ययन का खर्च भी निभ जाएगा।

यदि आई -20 में ही यह लिखा हो कि विद्यार्थी को पूरी वित्तीय सहायता मिल रही है तो क्या किया जाएगा ? उस स्थिति में क्या हमें अपने निजी कोष की जानकारी देनी होगी ?

नहीं, लेकिन प्रार्थी की योग्यताओं के अनुसार उसे यह जताना पड़ेगा कि उसके अमेरिका से बाहर गहरे संबंध है। प्रार्थी और उसके परिवार की वित्तीय स्थिति के बारे में इंटरव्यू में पूछा जा सकता है।

वीजा इंटरव्यू के लिए कौनसे दस्तावेज लेकर आना आवश्यक है ?

पहले उल्लिखित दस्तावेजों, आवेदन और आई-20 के अलावा कॉन्सुलर अधिकारी आपसे, आपकी अंकतालिका, डिग्री, जीआरई, सैट, टॉफेल स्कोर के बारे में भी पूछताछ कर सकते हैं। आपके अध्ययन का खर्च उठाने वाले व्यक्ति की वित्तीय हैसियत के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट http://newdelhi.usembassy.gov/ के वीजा सेक्शन को देखें।

विद्यार्थी वीजा के लिए अपात्र घोषित करने के क्या कारण हो सकते हैं ?

कभी-कभी किसी विद्यार्थी को वीजा नहीं मिल पाता। ऐसा तब होता है जब विद्यार्थी संबंधित अधिकारी को अपने वाकई विद्यार्थी होने का विश्वास नहीं दिला पाता या फिर वह अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने में असमर्थ हो या फिर भारत लौटने की उसकी योजना विश्वसनीय नहीं हो। साथ लाए दस्तावेजों से मदद जरूर मिलती है, लेकिन वे अधिकारी के साथ इंटरव्यू की जगह नहीं ले सकते। इंटरव्यू के दौरान प्रार्थी को अपनी योग्यताओं की खुलकर जानकारी देनी चाहिए।

अधिकारियों को यह विश्वास दिलाने का क्या उपाय है कि अध्ययन पूरा होने या थोड़ी अवधि के काम के अनुभव के बाद विद्यार्थी लौटकर वापस आ जाएगा ?

इसका सबसे अच्छा तरीका वापसी की विश्वसनीय योजना होना है जिसे प्रार्थी इंटरव्यू करने वाले अधिकारी को कुछ ही वाक्यों में समझा सके। यहां प्रौद्योगिकी उद्योग में तेजी आने से पहले कई भारतीय स्नातक अपना अध्ययन पूरा होने के बाद भी अपने वीजा को एच वन-बी में बदलवा कर वहीं रुक जाते थे। अब हम अधिकतर विद्यार्थियों को भारत लौटते देख रहे हैं। वे भारत आकर उच्च प्रौद्योगिकी वाली फर्मों में नौकरी कर लेते हैं या फिर अपनी ही कंपनी खोल लेते हैं। हमें विश्वास है कि भारत की वर्तमान स्थिति में स्नातक भारत लौटते रहेंगे। अमेरिका में एच वन-बी वीजा लेकर काम कर लेने से भारतीय बाजार में उनकी पूछ बढ़ जाती है।

आवेदकों की मजबूत वित्तीय स्थिति पर इतना अधिक जोर देकर क्या आप भारत के शिक्षित लेकिन आर्थिक संपन्नता से वंचित परिवारों के योग्य विद्यार्थियों के प्रति न्याय कर पाएंगे ?

यदि कोई योग्य विद्यार्थी यह सिद्ध कर सके कि उसके पास समुचित राशि -भले ही वह परिवार का पैसा हो, स्कॉलरशिप हो, बैंक कर्ज आदि हो-उसके अध्ययन के भुगतान के वास्ते है, तब तक विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति लेकर कोई बाधा नहीं आती।

अगर मैं विद्यार्थी वीजा लेकर अमेरिका में ग्रेजुएट हो गया हूं और मैं अमेरिका में ही नौकरी करना चाहता हूं तो क्या मुझे वीजा बदलना होगा ? क्या मुझे नए वीजा के लिए वापस भारत आना पड़ेगा ?

शायद हां, लेकिन मैं, आपको डिपार्टमैंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की वेबसाइट देखने का सुझाव दूंगी जिससे अमेरिका में रहते हुए अपनी स्थिति में परिवर्तन संबंधी नियम पता चल जाएंगे: http:/uscis.gov/ □

उपयोगी वेबसाइट

विदेश विभाग की एजुकेशन यूएसए वेबसाइट :
http://www.educationusa.state.gov/usvisa.htm
यूएस एजुकेशनल फाउंडेशन इन इंडिया :
http://fulbright-india.org/
अमेरिकी दूतावास :
http://newdelhi.usembassy.gov
ब्यूरो ऑफ कॉन्सुलर अफेयर्स:
http://travel.state.gov/
वीजा सुविधा सेवा:
http://www.vfs-usa.co.in/
डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्यूरिटी/
इमिग्रेशन एवं कस्टम एन्फोर्समेंट विभाग :
http://www.ice.gov/graphics/sevis
सेविस : http://www.fmjfee.com/

किसी विशेष वीजा मामले के बारे में पूछताछ के लिए nivnd@state.gov पर ई-मेल करें